मेडिकल शिक्षा हेतु रूस जा रहे छात्र

*723. **श्री मूलचंद मीणा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन-कौन सी संस्थाएं छात्रों को मेडिकल शिक्षा में प्रशिक्षण लेने हेतु रूस भेजती हैं;

(ख) मेडिकल शिक्षा पूरी करने पर इन्टर्नशिप कोर्स करने की क्या-क्या व्यवस्था है;

(ग) किस संस्था द्वारा भेजे गए छात्रों को भारत में इन्टर्नशिप कोर्स पूरा करने से छूट दी गई है; और

(घ) इन्टर्नशिप कोर्स पूरा करने में इस प्रकार का भेदभाव करने के क्या कारण है?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PAWAN SINGH GHATOWAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Medical Council of India (MCI) under a Memorandum of Understanding dated 27.6.1986 with the erstwhile U.S.S.R. Ministry of Higher and Secondery Specialised Education was sponsoring students for medical education in the erstwhile U.S.S.R. from 1987 to 1990. Some private agencies such as the Indo Soviet Cultural Society, Soviet Cultural Centres in India, Makkar Foundation, etc. were also sponsoring students during this period. This system has been discontinued by MCI since 1991. It has, however, been reported that private agencies are still sending students to Russia for medical education.

(b) to (d) Three sponsored students under the terms of the MOU were allowed to do intership in India without discrimination.

श्री मूलचन्द मीणा: सभापति महोदय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और सोवियत संघ के विशिष्ट शिक्षा मंत्रालय के बीच में 27 जून, 1986 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत से आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए छात्र सोवियत संघ में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। भारत से विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा छात्रों को शिक्षा के लिए भेजा भी गया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो छात्र सोवियत संघ के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और शिक्षा का लाभ ले रहे थे, यह समझौता 1991 के अन्दर समाप्त कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस समझौते को समाप्त करने के क्या-क्या कारण रहे हैं और किसलिए यह समझौता समाप्त किया गया? और दूसरे, जो प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से जैसे इंडो सोवियत कल्चर्स, सोसाइटी, सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र, मक्कर फाउंडेशन इत्यादि जो प्राईवेट संस्थाएं हैं और जो आज भी छात्रों को शिक्षा के लिए भेज रही हैं, तो मंत्री जी यह बताएं कि यह जो प्राईवेट संस्थाएं हैं जो आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए छात्रों को भेज रही हैं, इन पर आपने क्यों नहीं रोक लगाई? यह दो बातें मुझे बताएं।

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Sir, it is a fact that there was a Memorandum of Understanding between the MCI and the Ministry of Higher and Secondary Specialised Education of the erstwhile U.S.S.R. This was effective from 1987 to 1990. After the disintegration of the erstwhile U.S.S.R., there have been so many difficulties and from their side they have expressed their inability to fulfil the condition of the MOU. So, the MCI has discontinued that facility and for those students who were sponsored by the MCI wanting to come back for continuing their studies in India, the MCI has given a directive to the medical colleges of our country for keeping a limited number of seats in each medical college for these students provided, seats are available in those medical colleges for admitting the students, within the number of sanctioned seats. Sir, the Government is not aware of the selection procedure and other things of other sponsoring organisations and the responsibility concerning those students is not that of the MCI.

श्री मूलचन्द मीणा: सर, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ भेजा, यहां तक तो सही है। शिक्षा प्राप्त करने पर उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी, जिससे वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन एक समस्या पैदा हुई है। कि समझौते के तहत सोवियत संघ में आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र गए थे

और कोर्स भी पूरा कर लिया। लेकिन कोर्स के बाद एक साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के लिए भारत सरकार की कुछ शर्तें है। उन शर्तों के आधार पर कुछ छात्रों को भारत के अन्दर इंटर्नशिप की इजाजत दी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह शर्तें किन-किन छात्रों के ऊपर लगाई हैं, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर शिक्षा प्राप्त करने में बहुत पैसा खर्च होता है। शिक्षा प्राप्त करने के समय तक तो उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है लेकिन इंटर्नशिप में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।

तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो भी छात्र इस समझौते के तहत बाहर गए चाहे वह सरकार ने भेजे हों, चाहे प्राइवेट संस्थाओं ने भेजे हों, उनको इन्टर्नशिप की इजाजत भारत में देंगे या नहीं देंगे?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Sir, the Medical Council of India gives the permission to do internship to those students who are selected on merit basis and are sponsored by it for pursuing medical education in the USSR. It takes the responsibility for their internship.

श्री मूलचन्द मीणा: सर, ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट संस्थाएं भारत सरकार की जानकारी बगैर छात्रों की शिक्षा के लिए बाहर भेज रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो समझौता हुआ है, उसमें क्या-क्या शर्तें थी इन्टर्नशिप की, यह भी मंत्री जी बताएं।

MR. CHAIRMAN: Obviously the Government is aware of this.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय सभापति जी, उत्तर में यह बतलाया गया है कि प्राइवेट एजेंसियां अभी भी आयुर्विज्ञान शिक्षा हेतु छात्रों को बाहर भेज रही हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल दिल्ली में इस प्रकार की कितनी प्राइवेट एजेंसियां है जो छात्रों को रूस में आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए भेज रही हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन संस्थाओं पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का अपना कोई नियम अथवा कानून है या नहीं?

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, there are many private commercial agencies which are sending students to Russia today even after the agreement came to an end. Medical education is not the concern of these commercial institutions. We have no control over these commercial institutions.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Are there any rules for them? Mr. Chairman, the Minister has not replied to my question. My question was very different. My question was whether there are any rules or Acts made by the Government of India to control these institutions.

श्री वीरेन्द्र कटारिया: चेयर मैन साहब, सोवियत यूनियन में कई यूनिवर्सिटीज में सरकार की तरफ से और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसिस की तरफ से बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। सोवियत यूनियन के डिसइंटिग्रेशन के बाद वहां से बहुत से स्टूडेंट्स अनस्टेबल पोलिटिकल सिचुऐशन की वजह से हिंदुस्तान वापस आ गए।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह स्टूडेंट्स जो सरकार की तरफ से या नॉन गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशन की तरफ से सोवियत यूनियन में मेडिकल शिक्षा के लिए भेजे गए थे और जो वहां पर अनस्टेबल पोलिटिकल सिचुऐशन की वजह से हिंदुस्तान वापस आ गए, क्या उन स्टूडेंट्स को यहां के मेडिकल कालेजों में ऐडजस्ट कर दिया गया है? अगर कर दिया गया है तो उनकी तादाद कितनी है और अगर नहीं किया गया है तो उसकी क्या वजह है?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Sir, I have already stated that the students are selected by the Medical Council of India in accordance with a MoU that we have with the erstwhile Soviet Union's Higher Educaiton Board. When some of these students come back to India to continue their studies in our country, the MCI has given a directive, a circular to all the principals and the deans of medical colleges to admit not more than two students in their medical colleges within their sanctioned strength. It is very difficult because the students selected in our country for admission into the medical colleges are always selected to merit basis and there are conditions to fulfil the quota of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If there is no vacancy in between, it will be very difficult for the Medical Council of India also to ask the medical colleges to admit those students because it will not be within the permissible limit. These difficulties are there. This is applicable

only to the candidates who are sponsored by the Medical Council of India.

श्री शंकर दयाल सिंह: सभापति जी, यह एक गंभीर प्रश्न है क्योंकि हजारों विद्यार्थी सोवियत संघ में तथा दूसरी जगहों में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो विद्यार्थी वहां मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो वहां उनकी शिक्षा का माध्यम रशन भाषा है और रशन भाषा में वे शिक्षा प्राप्त करते हैं.....

MR. CHAIRMAN: Please conclude quickly, I would like to take up one more Question, if possible.

श्री शंकर दयाल सिंह: उनकी भाषा रशन और और दवाइयां भी रशन हैं तो क्या भारत सरकार रशन भाषा में लिखे गए पर्चे को मान्यता देगी या उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था करेगी जिससे वे यहां भी भाषा का इस्तेमाल कर सकें?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Sir, up to 10+2, they pursue their education in this country. After that, they go for medical education in that country, and for that they have to take up one-year language course in that country. And after that, for five years, they have to take up medical education. And after coming back, in this country, they generally prescribe this medicine and other things in English and the language they learnt in 10+2.

MR. CHAIRMAN: Quesiton No. 724.

Findings of People's Union for Democratic Rights Regarding Persons Arrested under Tada

*724. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:†

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Govenrment's attention has been drawn to the findings of a recent report by the People's Union for Democratic Rights revealing that out of the 53,000 persons arrested under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, since its inception in 1985, less than one percent have been convicted with not even one of those convicts relating to terrorist activity; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) The Govenment is aware of the low percentage of conviction under TADA.

(b) The State Govenment's have reproted that this is mainly because the witnesses hesitate to depose in terrorist cases due to fear of reprisal attacks by the terrorists, disruptionists and their associates, jumping of bail by the accused, absconding of the prime accused, non-acceptance of offical witnesses by the Judges etc.

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल ही एब्सर्ड है कि आतंकवादियों की डर से राजस्थान और गुजरात में लोग गवाही देने के लिए सामने नहीं आते हैं। मैं यह समझ सकता हूं कि काश्मीर में ऐसा हो सकता है। लेकिन गुजरात में जहां 17 हजार आदमी टाडा में विभिन्न आरोपों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन को जेलों में रखा जाता है, इससे ज्यादा कंडमेनेशन की बात क्या होगी? सरकार ने कहा कि लो परसेंटेज है, एक परसेंट से भी कम हुआ है कंविक्शन और श्री कुलदीप नायर जैसे जर्नलिस्ट विद्वान लोगों ने लिखा है कि जो टोटल कंविक्शन हुआ है वह लैस दैन वन परसेंट है। "Not a single conviction was under the Section relating to terrorist activities." एक आदमी को सजा नहीं मिली। ऐसी हालत में मैं आप से जानना चाहता हूं कि टाडा का जो मिसयूज हो रहा है उस पर विचार करने के लिए क्या ह्यूमन राइटस कमीशन को आप देंगे कि पूरे मामले की जांच करे और आपको बताए कि इस का कितना दुरुपयोग हुआ है? क्या इस कानून को रखने की जरूरत है या नहीं, इसकी जांच कराने का आदेश देंगे नहीं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो रही है टाडा के चलते?

†The Quesiton was actually asked on the floor of the House by Shri Chaturanan Mishra.